

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 27/2024

1. सुभाषचन्द्र | पिसरान हनुमान जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला
2. नरसी | हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. विधा देवी पुत्री हनुमान पत्नी राजेन्द्र जाति बिश्नोई साकिन फुलदेसर 2 डीएलडी तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 12/08/2024

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 का 2 की ओर से श्री राकेश सिंवर अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निवेदन के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद में निम्नानुसार खाता विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

वादी प्रथम पक्ष सं.1 को प्राप्त कृषि भूमि- तहसील पीलीबंगा के चक 13 एलजीडक्यू के खाता सं. 100/71 के प.नं. 15/291(4) किला नं. 18/0.184, 19/0.228, 20/1/0.013, 21/2/0.089, 22, 23/0.185 की 0.952 हैक्ट., प.नं. 15/292(7) किला नं. 1/2/0.082, 2, 3/0.190 की 0.525 हैक्ट. इस प्रकार कुल 1.477 हैक्ट. नहरी खातेदारी।

वादी प्रथम पक्ष सं. 2 को प्राप्त कृषि भूमि- तहसील पीलीबंगा के चक 13 एलजीडक्यू के खाता सं. 100/71 के प.नं. 15/291(4) किला नं. 14/0.051, 15/0.089, 16, 17, 18/0.069, 23/0.068, 24, 25 की 1.289 हैक्ट. नहरी अनकमांड, प.नं. 15/292(7) किला नं. 3/0.063, 4/1/0.126 की 0.189 हैक्ट. प्रकार कुल 1.478 हैक्ट. नहरी अनकमांड खातेदारी। प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथ् अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथ् किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथ् भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/08/2024 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

